

36/16-17


आदेश की  
क्रम संख्या  
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख  
सहित।

15/06/21

अभिलेख उपस्थापित।  
अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार मेठे उराँव पिता अहलाद उराँव को खास  
नोटिस निर्गत करें।  
अभिलेख दिनांक 24/06/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।


24/06/21

अभिलेख उपस्थापित।  
खास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी से  
मूल कागजात की मांग करें।  
अभिलेख दिनांक 26/07/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

26/07/21

अभिलेख उपस्थापित।  
प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित।  
अभिलेख दिनांक 25/08/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

25/08/21

15/02/22

अभिलेख उपस्थापित।  
अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार मेठे उराँव पिता अहलाद उराँव को खास  
नोटिस निर्गत किया गया था जो संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के पंजाब  
द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम सर्पमुण्डा खाता संख्या 167/13  
प्लॉट संख्या 1.09 रकबा 1.09 वर्ग 2010-11 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान  
कोई लिखित जमान नहीं दिया है कि उनके पास लगान रसीद  
के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से  
चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।  
राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी- II में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध  
जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप  
निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम सर्पमुण्डा  
खाता संख्या 167/13 प्लॉट संख्या 1.09 सर्वे खतियान में किस्म X  
है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0,  
दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है  
नियमितकरण योग्य नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा  
किया है।


क्रमशः


उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मेहे उराँव पिता अहलाद उराँव  
 ग्राम सर्पमुण्डा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी सदिग्ध/अवैध प्रतित होता है:-

क्र०सं०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	<u>सर्पमुण्डा</u>	<u>31</u>	<u>167/13</u>	<u>—</u>	<u>1.09 ए०</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रांची का पत्रांक- 2074/रा०, दिनांक- 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6144/रा०, दिनांक- 21.12.2017 के कडिका-5 के उप कडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिमडेगा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

  
 अंचल अधिकारी,  
 कुरडेग।

  
 अंचल अधिकारी,  
 कुरडेग।